ISSN : 2321-6131
वर्ष : 10 अंक : 20/1 जुलाई-दिसम्बर, 2022

समवेत

साहित्य, संस्कृति एवं शिक्षा से संबद्ध
समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका
(Peer-Reviewed Half Yearly Research Journal)

यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त (CARE) शोध पत्रिका
UGC Approved CARE Listed Journal

विशेषांक : नई शिक्षा नीति-2020

संपादक
डॉ. नवीन नंदवाना

समवेत: **ISSN 2321-6131** साहित्य, संस्कृति एवं शिक्षा से संबद्ध अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका

UGC Approved CARE Listed Journal

संपादक :

डॉ. नवीन नंदवाना
सह आचार्य, हिंदी विभाग
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

प्रबंध संपादक :

डॉ. सविता नंदवाना

पत्र-व्यवहार एवं संपर्क :

डॉ. नवीन नंदवाना
जी-9, ए-ब्लॉक, रामेश्वरम् अपार्टमेंट, हनुमान नगर,
मनवाखेड़ा, उदयपुर (राज.) - 313003
(मो.) 09828351618, 09462751618
email : editordeskudr@gmail.com

आवरण चित्र :

डॉ. मयंक शर्मा
विख्यात चित्रकार, उदयपुर

सदस्यता शुल्क :

व्यक्तिगत : वार्षिक - 700 रुपये,
पंचवार्षिक - 3,000 रुपये
संस्थागत : वार्षिक - 1,000 रुपये,
पंचवार्षिक - 4,000 रुपये
इस अंक का मूल्य : 400 रुपये

परामर्श एवं संपादक मण्डल :

प्रो. के. के. शर्मा
सेवानिवृत्त आचार्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य,
केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा (उ.प्र.)

प्रो. माधव हाड़ा
पूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
मो.सु. विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

प्रो. नरेंद्र मिश्र
आचार्य, हिंदी विभाग,
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. सुनील कुमार द्विवेदी
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, उत्तर बंग विश्वविद्यालय,
राजाराम मोहनपुर, दार्जिलिंग (प. बंगाल)

प्रो. सुनील कुलकर्णी
अध्यक्ष, तुलनात्मक भाषा विभाग,
उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगाँव

प्रो. अखिलेश कुमार शंखधर
सह आचार्य, हिंदी विभाग,
मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर

कृपया सदस्यता राशि नगद/धनादेश/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा **SAMVET DHWANI SANSTHAN** के नाम भेजें।

बैंक खाता विवरण : ICICI Bank Ltd., MLS University Branch, Udaipur (Raj.)
Account No. : 694 201 701373, IFSC : ICIC0006942

© संपादकाधीन

- संपादन कार्य पूर्णत: अवैतनिक है।
- प्रकाशित रचनाओं के विचार एवं विज्ञापनों से संपादक-प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- प्रकाशित सामग्री के उपयोग हेतु लेखक-संपादक की अनुमति अनिवार्य है।
- प्रकाशित आलेखों की मौलिकता के लिए सम्बन्धित लेखक उत्तरदायी हैं।
- समस्त विवादों के लिए न्यायालय क्षेत्र उदयपुर होगा।

प्रकाशक :

समवेत ध्वनि संस्थान

जी-9, ए-ब्लॉक, रामेश्वरम् आमर्टमेंट, हनुमान नगर, मनवाखेड़ा,
उदयपुर (राज.) - 313001

जनसंचार माध्यम

16. जनसंचार माध्यम और हिंदी भाषा **87**
ससे केशव काकासाहेब

17. जनसंचार माध्यम एवं भाषाएँ **92**
डॉ. रवींद्र निरगुडे

18. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भारतीय भाषा हिंदी **97**
डॉ. अपर्णा पाटील

19. पत्रकारिता और भारतीय भाषाएँ **102**
डॉ. पी. हरिराम प्रसाद

20. दक्षिण भारतीय सिनेमा, डबिंग और हिंदी **105**
डॉ. दादासाहेब एन. डांगे

21. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और रोजगार के अवसर **113**
डॉ. बेबी राघू कोलते

22. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी भाषा का महत्त्व **119**
डॉ. संजय भाऊसाहेब दवंगे

23. हिंदी पत्रकारिता की वेबदुनिया **122**
डॉ. राम बडे

24. सामाजिक विकास में आकाशवाणी और भारतीय भाषाओं का योगदान **128**
डॉ. जितेंद्र पितांबर पाटिल

25. भारतीय भाषाएँ और पत्रकारिता **133**
डॉ. प्रवीण तुलशिराम तुपे

हिन्दी भाषा, साहित्य और शिक्षा

26. साठोत्तरी भारतीय रंगचेतना और सुरेंद्र वर्मा **141**
दशरथ काशिनाथ खेमनर एवं डॉ. विनायक खरटमल

27. हिंदी नाटक और मोहन राकेश (नाट्य शिल्प के संदर्भ में) **147**
प्रो. उत्तम ओंकार येवले

28. भारतीय मिथक परंपराओं की पुनर्व्याख्या 'संजीवनी' खंडकाव्य **154**
डॉ. सुजाता राजेंद्र लामखडे

29. हिंदीतर भाषियों हेतु हिंदी भाषा शिक्षण **161**
डॉ. दीपक जाधव

30. अधुनातन आयामों में हिंदी **167**
डॉ. नवीन नंदवाना

हिंदीतर भाषियों हेतु हिंदी भाषा शिक्षण

डॉ. दीपक जाधव*

भाषा शिक्षण से तात्पर्य क्या है? भाषा का शिक्षण, भाषा में शिक्षण या भाषा अर्जन। जब तक इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं होगा तब तक भाषा शिक्षण के नाम पर भाषा में शिक्षण ही चलता रहेगा। जिस रूप में अन्य विषय पढ़ाते समय भाषा का सहारा लिया जाता है किंतु वहाँ भाषा एक माध्यम रूप में प्रयुक्त होती है और अध्येता का उद्देश्य संबंधित विषय की जानकारी, ज्ञान प्राप्त करना होता है, यही हाल भाषा शिक्षण का होगा। भाषा उसके लिए उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाती जितनी महत्त्वपूर्ण विषय से संबंधित जानकारी बन जाती है। अत: उसकी सजगता का केंद्र भी जानकारी बन जाती है और भाषा मात्र साधन। जैसे- विज्ञान, समाजशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल का छात्र भाषा का प्रयोग तो करता है किंतु उसका लक्ष्य भाषा अर्जन नहीं होता है। वह संबंधित विषय की जानकारी प्राप्त करने में भाषा का मात्र उपयोग करता है। यहाँ उसकी भाषिक अभियोग्यता नहीं जाँची जाती बल्कि उसकी जानकारी, आकलन, आँकड़े या तथ्य पर ध्यान दिया जाता है।

सवाल यह भी है कि क्या भाषा शिक्षण में भी यही अपेक्षित है? इस प्रश्न का उत्तर अगर 'हाँ' है तो हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमारा उत्तर 'ना' है तो हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए? हम जो कर रहे हैं, क्या वह भाषा शिक्षण है? मात्र भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना और अन्य विषय पढ़ाने में भाषा का प्रयोग करना इसमें अंतर क्या है? इस पर ध्यान देना होगा। क्या इस तरह से पढ़ने-पढ़ाने से भाषा शिक्षण साध्य होगा?

---

* हिंदी विभाग प्रमुख, वेणूताई चव्हाण कॉलेज, कराड, जिला-सातारा

इसमें दो राय नहीं कि अन्य विषयों के अध्ययन-अध्यापन से अधिक ध्यान भाषा अध्ययन में भाषा पर दिया जाता है किंतु यह ज्ञात हो कि भाषा शिक्षण में भाषा में शिक्षण की अपेक्षा भाषा अर्जन को महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। 'भाषा' भाषा शिक्षण के केंद्र में आनी चाहिए। जब तक 'भाषा', भाषा शिक्षण के केंद्र में नहीं आएगी, भाषा शिक्षण में भाषिक अभियोग्यताएँ साध्य नहीं बन पाएगी। तब तक भाषा शिक्षण भाषा के माध्यम से भाषा संबंधी, साहित्य संबंधी जानकारी देने में जुटा रहेगा। प्रस्तुत शोध आलेख में भाषा अर्जन में संलग्न बालक तथा भाषा शिक्षण की स्नातक-स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों को ध्यान में रख अपनी बात दो मुद्दों पर करने की कोशिश की है।

भाषा शिक्षण में भाषा अभियोग्यता के चार चरण हैं- श्रवण, वाचन, भाषण एवं लेखन। इनमें उच्चारण एवं लेखन को सप्रयास अर्जित करना पड़ता है। श्रवण ध्यानपूर्वक करने के लिए सप्रयास सुनना जरूरी है तथा जो पढ़ा है उसे याद रखने के लिए भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसके बावजूद ये दोनों क्रियाएँ हो रही है या नहीं, इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सकता। वाचन सस्वर हो तो पता चलता है कि पढ़ा जा रहा है किंतु वह मौन हो तो यह तय कर पाना मुश्किल है कि जिसका ध्यान किताब में है, वह पढ़ ही रहा है। इसे जानने के लिए हमें भाषा के भाषण एवं लेखन अभियोग्यताओं का सहारा लेना पड़ता है। जिससे उसके सुनने-पढ़ने की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके या मूल्यांकन किया जा सके। अर्थात् श्रवण और वाचन जानकारियाँ, कौशल अर्जित करने में सहायक है जबकि भाषण और लेखन अर्जित कौशल का प्रत्यक्ष प्रयोग है। इस विवेचन के आधार पर भाषिक अभियोग्यताओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है- ग्रहणपरक अभियोग्यताएँ और प्रयोगपरक अभियोग्यताएँ।

भाषा की चार अभियोग्यताओं में से ज्ञान प्राप्ति, जानकारी संग्रहण, भाषा ग्रहण तथा बातों, तथ्यों, सिद्धांतों को जानने-समझने के लिए सहायक श्रवण, वाचन को ग्रहणपरक अभियोग्यता के नाम से अभिहित किया गया है। सुनने-पढ़ने से अर्जित ज्ञान को भाषण लेखन द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इन योग्यताओं द्वारा भाषा ग्रहण की जाती है। ग्रहणपरक अभियोग्यताओं द्वारा भाषा की समझ विकसित होती है। अत: भाषा अर्जन की प्रक्रिया में इनका विशेष महत्त्व है।

भाषा अर्जन में श्रवण का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रवण ही भाषा अर्जन का प्रथम सोपान है। बालक भाषा को प्रथम सुनता है और सुनी हुई भाषा को ही धीरे-धीरे प्रयास करते हुए बोलता है। श्रवण में बालक केवल श्रवण नहीं करता तो

बोलने वाले को, उसकी क्रियाओं, मुद्राओं का भी अवलोकन करता है। श्रवण की प्रक्रिया में ही बालक के दिमाग में शब्द चित्र, शब्द प्रतीक, शब्द वस्तु, शब्द भाव के अंतर्संबंध विकसित होने लगते हैं। श्रवण की सजगता बालक की भाषिक क्षमता के विकास में सहायक बनती है। इसलिए अन्य भाषी अध्येता के लिए हिंदी भाषा श्रवण के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।

मातृभाषा से भिन्न भाषा शिक्षण में भाषा के रूप में सर्वप्रथम परिचय भाषा की वर्णमाला से होता है। अध्यापक द्वारा वर्णमाला का परिचय कराना बालक के लिए प्रथमत: श्रवण उसके बाद वाचन तथा लेखन का कार्य करता है। इस समय बालक के लिए अधिक से अधिक दृश्य-श्रव्य माध्यमों का प्रयोग करते हुए श्रवण के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। मातृभाषा की कहानियों के अनुवाद सुनाना, छोटी-छोटी कहानियाँ दृश्य-श्रव्य माध्यम द्वारा दिखाना, मनोरंजक कार्टून का भी सहारा बालक की श्रवण अभिरुचि बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बड़ी कक्षाओं में श्रवण हेतु भाषा के परिनिष्ठित तथा अधिक प्रगल्भ रूप को चुना जा सकता है जिससे छात्रों की भाषा अधिक समुन्नत हो। इसमें किसी छात्र को पढ़ने का अवसर दें, अन्य को ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है।

भाषा के ग्रहणपरक अभियोग्यता का दूसरा चरण है- वाचन। वर्णमाला के परिचय के बाद उस वर्णमाला के प्रत्यक्ष प्रयोग को जानने-समझने की क्रिया वाचन है। वह मौन और सस्वर दोनों प्रकार का होता है। मौन वाचन में भाषा अध्येता एकाग्र होकर पढ़ता है और भाषा शब्दों को ग्रहण करता है। सस्वर वाचन द्वारा भी शब्द, भाषा-अर्जन की क्रिया तो होती ही है साथ में उच्चारण में भी सटीकता आती है। वाचन से भाषा अध्येता भाषिक प्रयोग में अधिक समर्थ होता है। श्रवण में जिस की भाषा सुनी जा रही है उसके उच्चारण, लहजे, भाषा खामियों को भी आत्मसात करने की संभावना होती है जबकि वाचन में इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है।

वाचन में प्राय: किताबों का प्रयोग होता है जिसकी विश्वसनीयता अधिक होती है। यह विश्वसनीयता छात्रों में भी दृढ़ता लाती है। वाचन की रुचि छात्रों के ज्ञान वृद्धि में अधिक सहायक बनती है। अत: इस अभियोग्यता पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। वाचन अभियोग्यता के विकास हेतु छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए सचित्र, कथात्मक, मनोरंजक साहित्य का चुनाव किया जा सकता है। बालकों की रुचि बनी रहे इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार साहित्य एवं भाषा का चयन करना अपेक्षित है। उच्चारण सुधार के लिए सस्वर वाचन को प्राथमिकता से स्वीकारना चाहिए।

संवाद, अभिव्यक्ति के लिए जिन भाषिक अभियोग्यताओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रयोगपरक अभियोग्यता माना गया है। इन अभियोग्यताओं से भाषा प्रयोक्ता की भाषिक योग्यता का पता चलता है। किसी व्यक्ति द्वारा, अध्येता द्वारा भाषा का अर्जन किस रूप में हुआ है इसे तय करने का आधार भी प्रयोगपरक अभियोग्यताएँ है। भाषा अध्येता जब अपनी भाषिक योग्यता के आधार पर नौकरी पाना चाहता है तब भी उसे अपनी प्रयोगपरक भाषिक अभियोग्यता का परिचय देना पड़ता है। बाजार, व्यवसाय, नौकरी जहाँ भी भाषिक अभियोग्यताओं का संबंध आता है, वहाँ उसका सामान्य अर्थ यही निकलता है कि भाषा अध्येता किस प्रकार की भाषा बोल सकता है या किस योग्यता, निपुणता के साथ लिख सकता है। भाषा के प्रयोगपरक अभियोग्यता के दो प्रकार है- भाषण और लेखन।

सस्वर अभिव्यक्ति भाषण है। यह श्रवण के तुरंत बाद की अभियोग्यता है। श्रव्य भाषा का प्रयोग अर्थात् भाषण। भाषण भाषा की प्रमुख प्रयोगपरक अभियोग्यता है जिसका प्रयोग सर्वाधिक सुलभ और सर्वाधिक पैमाने पर किया जाता है। भाषा बोलने के लिए आवश्यक है कि भाषा का पर्याप्त मात्रा में श्रवण और जो जैसे सुना है उसे बोलने का प्रयास। बालक, भाषा अध्येता जब इस प्रकार के प्रयास करता है तब जितना हो सके उसका हौसला अफजाई करना चाहिए। उसे बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसके पहले प्रयास की सराहना हो तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर उसके पहले प्रयास पर ही उसका मजाक उड़ाया जाए, उसकी गलतियाँ गिनाई जाए तो यह संभावना बनती है कि वह मायूस हो जाए या भाषा प्रयोग में खुद को फिसड्डी मान, बोलने से कतराने लगे। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह निरंतर छात्र से हल्की-फुल्की बातचीत करे। छात्र के मन में अध्यापक का भय ना हो। कई बार संबंधित भाषा में बोलने की योग्यता होने के बावजूद छात्र कक्षा के वातावरण तथा अध्यापक के डर के कारण बोलने में हिचकिचाता है।

भाषण भाषा अर्जन का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इसमें यह अपेक्षा होती है कि भाषा प्रयोक्ता अधिक नहीं तो अपने आप को ही सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। वह जो बोलना चाहता है, उसे उचित ढंग से बोल सके। भाषण भाषा शिक्षण का अत्यावश्यक चरण होने के बावजूद स्नातक-स्नातकोत्तर स्तर का छात्र भी भाषण अभियोग्यता में पिछड़ा हुआ जान पड़ता है। इसका मुख्य कारण है शिक्षा व्यवस्था का लिखित परीक्षात्मक मूल्यांकन। भाषण अभियोग्यता के विकास के लिए छात्रों को पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। छोटी कक्षाओं के बालकों को फिल्म दिखाकर उसकी कहानी पूछना, वह जहाँ रहता है, उसके बारे में जानकारी लेना या उसकी

रुचि की जानकारी लेना आदि से बालकों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बड़ी कक्षाओं के छात्रों को कोई प्रसंग, घटना बताकर उसकी राय लेना, कोई चित्र सामने रखकर उसके आशय को जानने का प्रयास करना, छात्रों को विषय देकर उस पर परिचर्चा करवाना या छात्रों के गाँव, माता-पिता, जीवन के बारे में उन्हें बोलने के लिए उद्यत करना आदि के माध्यम से उनके भाषण अभियोग्यता को विकसित किया जा सकता है।

वर्णमाला परिचय के साथ ही लेखन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सामान्य रूप से औपचारिक भाषा शिक्षण में भाषा के वाचन और लेखन इन दो अभियोग्यताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। मातृभाषा से भिन्न भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण का लक्ष्य वाचन और लेखन की योग्यता विकसित करना बन जाता है। परिणामत: भाषा अध्येता भाषा पढ़ता तो है लेकिन उसका प्रयोक्ता नहीं बन पाता, विशेषत: बोलने के संदर्भ में। भाषा शिक्षण में लेखन पर विशेष बल दिया जाता है। छात्र लेखन में संभवत: ठीक-ठाक पाया जाता है लेकिन यहाँ इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि लेखन से तात्पर्य केवल रटे रटाए उत्तर से नहीं है। लेखन अभियोग्यता में यह अपेक्षित है कि भाषा अध्येता स्वयं की बात रख सके। जो कुछ उसने देखा है, महसूस किया है, उसे लिख सके, किसी विषय पर टिप्पणी कर सके।

परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हल करने से लेखन कौशल का विकास नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ अभियोग्यता का विकास बहुत ही सीमित दायरे में होता है। जो पढ़ा और रटा है उतना ही लिखा जाता है। उसके बाहर या उससे भिन्न लिखने की नौबत आए तो छात्र स्वयं को असहज महसूस करने लगता है इसलिए लेखन अभियोग्यता के विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए छोटी कक्षाओं में छात्रों द्वारा अनुभव लिखवाना, कल का दिन कैसा रहा? इसका विवरण लिखवाना, आज ग्राउंड पर क्या किया? यह जानना। इस तरह से बालकों के रोजमर्रा के जीवन की घटनाओं को लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनके लेखन में सुधार आए। बड़ी कक्षाओं के लिए चित्र परिचय, फिल्म समीक्षा, व्याख्यान सार, निबंध, यात्रा वर्णन, वृत्तांत लेखन आदि के माध्यम से लेखन अभियोग्यता के विकास के प्रयास किए जा सकते हैं।

भाषिक अभियोग्यता के विकास की प्रक्रिया, भाषा अर्जन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक, दो, दस, पंद्रह कक्षाओं में भाषा शिक्षण पूर्ण होगा ही ऐसी बात नहीं है। एक तो भाषा शिक्षण के नाम पर बहुतायत भाषा का साहित्य, इतिहास ही पढ़ाया जाता है इसलिए भाषा शिक्षण में भाषा अध्यापक की जिम्मेदारी बहुत बढ़

जाती है। एक तो उसे निरंतर छात्रों की भाषा का परिष्कार करने के लिए तैयार रहना होगा और दूसरे उसे स्वयं की भाषा योग्यता में निरंतर वृद्धि करनी होगी। तभी सामान्य से सामान्य छात्र भी भाषा प्रयोग में सजग एवं सशक्त बन सकेगा।

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय व्यवस्था से यह अपेक्षा है कि बड़ी कक्षाओं के पाठ्यक्रम बनाते समय भाषिक अभियोग्यताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाया जाए। पाठ्यक्रम में काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, विशेष विधा या लेखक के महत्त्व के साथ ही भाषा प्रयोग संबंधी व्यवस्था भी होनी चाहिए। विशेषत: स्नातक के अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों के लिए 'भाषिक अभियोग्यता एवं भाषा प्रयोग' नाम से स्वतंत्र प्रश्न पत्र होना चाहिए जिसमें 50 अंक प्रात्यक्षिक/प्रत्यक्ष भाषा प्रयोग तथा 50 अंक पर ही लिखित परीक्षा हो। इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम हर साल बदला जाए ताकि रट्टा मारने की व्यवस्था ना बन पाए। इसके लिए महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग को भी प्रश्न पत्र का अपना पाठ्यक्रम बनाने की छूट दी जा सकती है। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण के केंद्र में भाषा आएगी और भाषा का छात्र भाषा प्रयोग में अधिक सशक्त बन पाएगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. डॉ. दीनानाथ फुलवाडकर : बोलियाँ एवं बोली कोश, समता प्रकाशन, कानपुर
2. डॉ. रामकिशोर शर्मा : भाषा चिंतन के नए आयाम, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
3. डॉ. वी.एन. भालेराव : भारतीय साहित्य शास्त्र, अभिजीत पब्लिकेशन, लातूर
4. गरिमा श्रीवास्तव : भाषा और भाषा विज्ञान, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली
5. डॉ. भोलानाथ तिवारी : भाषा विज्ञान, किताब महल, इलाहाबाद
6. राजमणि शर्मा : भाषा विज्ञान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
7. डॉ. राजेश्वरी शांडिल्य : भाषा साहित्य एवं संस्कृति, अलका प्रकाशन, कानपुर
8. डॉ. संतशरण शर्मा 'संत' : मानक व्यावहारिक, हिंदी व्याकरण तथा भाषा बोध, अमर प्रकाशन, सदर बाजार, मथुरा-01
9. डॉ. अशोक कुमार उपाध्याय : मानक हिंदी व्याकरण, धनपत राय एंड कं., दिल्ली
10. डॉ. भोलानाथ तिवारी : शैली विज्ञान, शब्दकार प्रकाशन, दिल्ली
11. डॉ. अर्जुन तिवारी : हिंदी भाषा व्याकरण और रचना, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वर्धा

❑❑❑